

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की वित्त समिति की बैठक मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक-6.8.2019 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त:-

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही-

- | | | |
|--|--|--------------|
| 1. प्रो० डा० राजाराम यादव
कुलपति | | अध्यक्ष |
| 2. डा० ज्ञान प्रकाश वर्मा
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
वाराणसी। | (प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा)
उ०प्र० शासन, लखनऊ | सदस्य |
| 3. श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार
वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी। | (प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त)
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। | सदस्य |
| 4. श्री सुजीत कुमार जायसवाल
कुलसचिव | | सदस्य |
| 5. श्री व्यास नारायण सिंह
परीक्षा नियंत्रक | | सदस्य |
| 6. एम०के० सिंह
वित्त अधिकारी | | सदस्य / सचिव |

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं०-1

दिनांक-11.12.2018 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

निर्णय- समिति अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं०-2

दिनांक-11.12.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय- समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक-12.11.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी

प्रस्ताव सं०-3

वर्ष 2017-18 के बैलेंस शीट के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय- समिति द्वारा सर्व सम्मति से बैलेंस शीट अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-4

शासनादेश संख्या-176/सत्तर-1-2019-15(32)/81, दिनांक-9.3.2019 के सम्बन्ध में विचार।(उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।)

निर्णय- समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में निर्गत तिथि से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-05

शासनादेशसंख्या-3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011, दिनांक-5.3.2019 के सम्बन्ध में विचार। (यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

निर्णय- समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में निर्गत तिथि से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-06

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के पारिश्रमिक वृद्धि के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से गृहविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय के लिये अधिकतम सीमा रू० 60,000/- को बढ़ाकर रू० 80,000/- एवं शेष विषयों के लिये रू० 40,000/- के स्थान पर रू० 60,000/- अधिकतम पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-07

पी०यू०कैट-2019 के लिये आवेदन शुल्क की धनराशि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा-2019 के लिये मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक-12.3.2019 के क्रम में निम्नानुसार आवेदन पत्र शुल्क लिये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी।

क्र०सं० श्रेणी	पूर्व निर्धारित शुल्क	वर्तमान शुल्क
1. सामान्य वर्ग	रू० 200.00	700.00
2. एस्०एस्०/एस्०टी०/पिछडा वर्ग	रू० 150.00	400.00

प्रस्ताव सं०-8

कार्य परिषद की बैठक दिनांक-8.12.2018 की बैठक के प्रस्ताव-06 विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निर्धारित वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-

- (1) समिति द्वारा सर्व सम्मति से संविदा पर नियुक्त अकुशल (चतुर्थ श्रेणी) अर्द्ध कुशल (तृतीय श्रेणी) कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिये जाने की संस्तुति की गयी।
- (2) समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्य, व्यवहार व आचरण वाले संविदा/अंशकालिक कर्मियों को अधिकतम 25 कर्मचारियों को वर्ष में एक बार 6000/- रुपये प्रोत्साहन भत्ता नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति पर इस हेतु गठित समिति के अनुमोदनोपरांत दिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-9

विशेष कार्याधिकारी, कुलपति को कार्यालयी एवं आकस्मिक व्यय हेतु रू० 15,000/- स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-कुलपति कार्यालय के कार्यालयी एवं आकस्मिक व्यय के लिये विशेष कार्याधिकारी, कुलपति के नाम से रू० 15,000/- स्थानी अग्रिम की स्वीकृति मा० कुलपति जी द्वारा दिनांक-4.4.2019 को प्रदान की गयी। समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्योत्तर संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-10

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक-18.8.2018 में अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य बिन्दु सं०-2 में परीक्षा समिति की बैठक में सम्मिलित सदस्यों के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-दिनांक-18.8.2018 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिन्दु संख्या-2 में लिये गये निर्णय "परीक्षा समिति की बैठक में सहभागिता करने वाले सदस्यों (परिसर के अतिरिक्त) को पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में मा० कार्य परिषद के सदस्यों की भाँति रू० 1,000/- का नकद भुगतान किया जाय। समिति द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही परीक्षा समिति की आगामी बैठकों में पारिश्रमिक/मानदेय स्थगति किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-11

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक-12.6.2019 के कार्यसूची-5 (i) छात्रों को अंक पत्र की कम्प्यूटराइज्ड द्वितीय प्रति (**Duplicate**) जारी करना तथा उस पर शुल्क निर्धारण रू० 300/- करने पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से अंक पत्र की द्वितीय प्रति (प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग बनाने पर) उपाधि, अंक पत्र में संशोधन या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये रू० 300/-शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-12

केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य में लगे हुए शिक्षक एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक वृद्धि के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से वर्ष 2019 के मूल्यांकन/परीक्षा कार्य में लगे हुए अध्यापकों/कर्मचारियों को प्रस्तावानुसार भुगतान की इस शर्त के साथ संस्तुति गयी कि आगामी परीक्षाओं में वर्ष 2018 में लागू दरें ही मान्य होंगी।

क्र०सं० पद	वर्ष 2019 की दर	वर्ष 2020 से लागू दरें
1. समन्वयक	50,000/-	40,000.00
2. उप समन्वयक	40,000/-	30,000.00
3. तृतीय श्रेणी	25,000/-	20,000.00
4. चतुर्थ श्रेणी	20,000/-	15,000.00

प्रस्ताव सं०-13

बी०एस-सी०/बी०काम एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2019-20 से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों बी०एस-सी०, बी०काम० एवं बी०सी०ए० के लिये मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में निम्नवत शुल्क निर्धारित किया गया :-

क्रम० सं०	पाठ्यक्रम	शुल्क
1.	बी०एस-सी०(शिक्षण शुल्क वार्षिक)	रू० 10,000.00
2.	बी०काम०(शिक्षण शुल्क वार्षिक)	रू० 10,000.00
3.	बी०सी०ए०(शिक्षण शुल्क वार्षिक)	रू० 20,000.00
4.	नामांकन शुल्क(प्रथम वर्ष)	रू० 200.00
5.	उपाधि शुल्क(अंतिम वर्ष)	रू० 200.00
6.	छात्र कल्याण शुल्क	रू० 100.00
7.	क्रीडा शुल्क	रू० 150.00
8.	रोवर्स/रेंजर्स	रू० 24.00

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार शुल्क लिये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-14

डा० मनोज गुप्ता, प्रवक्ता, बायोटेक्नालॉजी विभाग के आवेदन-पर विचार।
(बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ- (IPR Cell)*
निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यालय व्यय हेतु रू० 5.00 लाख की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-15

श्री बी०डी० सिंह, स्थायी अधिवक्ता के पत्र दिनांक-29.3.2019(पारिश्रमिक वृद्धि से सम्बन्धित) पर विचार।
निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से रिटेनर शुल्क पूर्व की भाँति रू० 1,000/- एवं कथानक/परामर्श शुल्क रू० 500/- किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-16

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभाग हेतु आकस्मिक एवं आवश्यक कार्यालयी कार्य के व्यय हेतु स्थायी अग्रिम रू० 2,000/- को बढ़कर रू० 5,000/- किये जाने पर विचार।
निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्थायी अग्रिम रू० 2,000/- को बढ़ाकर रू० 5,000/- किये जाने की संस्तुति की गयी। कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रस्ताव सं०-17

श्री लाल बहादुर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदा पर कार्यरत) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के वेतन वृद्धि पर विचार।
निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से नियत वेतन रू० 12,000/- से बढ़ाकर रू० 15,000/- अगस्त देय सितम्बर, 2019 से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-18

विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग, उमानाथ सिंह अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (बी०टेक/बी०फार्म० की काउंसलिंग का पारिश्रमिक) के पत्र दिनांक-25.7.2019 पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

प्रस्ताव सं०-19

डा० राज कुमार, चीफ वार्डन, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पत्र दिनांक-4.7.2019 पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से शोध छात्रों, पी०डी०एफ छात्रों एवं संविदा शिक्षकों को पी-एच०डी० करने वाले छात्र एवं संविदा शिक्षकों को पी०जीछात्रावास में रहने हेतु रू० 1500/- प्रतिमाह की दर से किराया लिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०-20

(क) पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा सत्र 2017-18 में चयनित अभ्यर्थियों को पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क रू० 25,000/- सभी वर्गों से लिये जाने पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा-2019 में चयनित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों से रू० 30,000/- शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) पी-एच0डी0 प्रवेश हेतु सेवारत कर्मियों/अधिकारियों से रू0 3.00लाख के शुल्क पर प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0-21

जी0पी0एफ0धनराशि पर ब्याज के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन से जी0पी0एफ0 मद में की गयी कटौती पर ब्याज की अन्तर राशि की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय कोष से रू0 3,00,77,741/-इस शर्त के साथ हस्तांतरित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि शासन/कोषागार से ब्याज की धनराशि प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को वापस करना होगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

प्रस्ताव सं0-01

विश्वविद्यालय परिसर स्थिति अतिथि गृह प्रभारी के पारिश्रमिक वृद्धि पर विचार।


निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से पूर्व में निर्धारित पारिश्रमिक रू0 300/- को बढ़ाकर अगस्त, 2019 से रू0 2,000/- किये जाने की संस्तुति की गयी।


प्रस्ताव सं0-02

डा0 राजेश सिंह(उद्यान सुपरवाइजर) के नियत वेतन रू0 15,000/- को बढ़ाकर रू0 30,000/- किये जाने पर विचार।

निर्णय-समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव को खेलकूद परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्य में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।


(प्रो0 डा0 राजाराम यादव)
कुलपति/अध्यक्ष


(एम0 के0 सिंह)
वित्त अधिकारी/सचिव